भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6322
02 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी नीतियां

†6322. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में अद्यतन की गई राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों का ब्यौरा क्या है और शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं;
(ख) 'वेस्ट-टू-एनर्जी (अपशिष्ट से ऊर्जा), एआई आधारित अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण नवाचारों जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) सरकार अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रमों की वित्तीय स्थिरता कैसे सुनिश्चित कर रही है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;
(घ) अपशिष्ट प्रबंधन में सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने, यदि कोई हो, के उपाय और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) लैंडफिल पर निर्भरता कम करने और 'चक्रीय अर्थव्यवस्था' के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए किन परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है; और
(च) क्या वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो सरकार इन साझेदारियों का किस प्रकार लाभ उठाने की योजना बना रही है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन नीतियां पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 द्वारा संचालित होती हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में सहायता प्रदान करने के लिए, **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी** 2014 से देश के सभी शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है। पहले चरण में हुई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, एसबीएम-यू 2.0 को अक्टूबर 2021 में पांच साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य कचरे के स्रोत पर पृथक्करण, घर-घर जाकर संग्रहण और कचरे के सभी भागों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना था।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 27 जनवरी, 2026 को अधिसूचित किए गए हैं, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।

इन नियमों में वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ ढांचा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व स्रोत पर चार-धारा पृथक्करण, लैंडफिल पर प्रतिबंध तथा रिफ्यूज-आधारित ईंधन के उपयोग को शामिल किया गया है।

(ख) : शहरी भारत में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन-शहरी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है। उपचार प्रौद्योगिकियों का चयन शहरी स्थानीय निकायों/राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिससे उन्हें केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन मैनुअल में वर्णित तथा समय-समय पर जारी की जाने वाली परामर्शिकाओ के अनुसार कोई भी प्रमाणित प्रौद्योगिकी चुनने की सुविधा मिलती है। शहरी स्थानीय निकाय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपना सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं:

i) बायो-मिथेनशन, सूक्ष्मजीवी कम्पोस्टिंग, वर्मी-कम्पोस्टिंग, एनारोबिक डाइजेशन या जैविक अपशिष्टों के जैव-स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रसंस्करण

(ii) **अपशिष्ट से ऊर्जा प्रक्रियाएँ**, जिनमें अपशिष्ट के ज्वलनशील अंश के लिए **रिफ्यूज-आधारित ईंधन** तैयार करना या इसे ठोस अपशिष्ट आधारित विद्युत संयंत्रों या सीमेंट भट्टियों में **फीडस्टॉक** के रूप में आपूर्ति करना शामिल है।

इसके अलावा, अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सहयोग से, एक चुनौती मॉडल के माध्यम से स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान की जाती है। साथ ही, आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर में एक इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किया गया है, जो चयनित संगठनों को एक वर्ष की इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करता है।

(ग) और (घ): एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत, निर्धारित वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार वीजीएफ का दावा करने के लिए केंद्रीय निधि का हिस्सा उपलब्ध है। एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत, संपूर्ण मिशन अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय ₹1,41,600 करोड़ है, जिसमें ₹36,465 करोड़ की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है।

एसबीएम-यू 2.0 के तहत, **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड** की परियोजनाओं को शहरी अवसंरचनात्मक ढांचे में निजी पूंजी निवेश को आमंत्रित करने के साथ-साथ शहरी सेवाओं की प्रदायगी और संचालन एवं रखरखाव में निजी क्षेत्र की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है

(ङ): एसबीएम-यू के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), कम्पोस्टिंग संयंत्र, बायो-मेथेनेशन संयंत्र, अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ) प्रसंस्करण सुविधाएं, निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट संयंत्र, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र/सीबीजी संयंत्र की स्थापना के लिए केंद्रीय सहायता निधि प्रदान की जाती है। यह योजना "संपूर्ण सरकारी" दृष्टिकोण के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायता करती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों को सुनिश्चित किया जा सके।

कचरा मुक्त शहरों की परिकल्पना के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में अंतिम व्यक्ति की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने और नागरिकों तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को शून्य अपशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करने और त्योहारों, सार्वजनिक समारोहों, बाजारों और संस्थागत कार्यक्रमों में शून्य अपशिष्ट कॉलोनियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें अपशिष्ट मुक्त सार्वजनिक स्थानों को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य स्रोत पृथक्करण, साइट पर खाद बनाने और सामग्री की पुनःप्राप्ति को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा, विशेष रूप से कम अनुपालन वाले क्षेत्रों में वार्ड स्तर के अभियानों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर समर्थन, स्वच्छता दूतों, स्वयं सहायता समूहों और आरडब्ल्यूए के माध्यम से हरा

गीला, सूखा नीला जैसे सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियानों में तेज़ी लाई जा रही है।

(च): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सहयोगों के तहत, शहरी स्थानीय निकायों को मॉडल दस्तावेज़ों के प्रसार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की तैयारी एवं कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। प्लास्टिक अपशिष्ट उन्मूलन और एकीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक अपशिष्ट की संग्रह, पृथक्करण और पुनर्चक्रण प्रणाली में सुधार करके, विशेष रूप से तटीय शहरों में, प्लास्टिक को समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने से रोकने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।
